अधिसूचना   नई दिल्ली, तारीख 2 फरवरी, 2017

सं0 05/2017- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,-

(क) विद्युत के उत्पादन या प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए ईंधन सेल आधारित प्रणाली के आरंभिक गठन; या

(ख) बायोगैस या बायोमीथेन पर या उपोत्पाद हाइड्रोजन द्वारा प्रचालित प्रणालियों के संतुलन,

के लिए मशीनरी के सभी मदों जिसके अंतर्गत उपकरण, यंत्र और साधित्र, पारेषण उपस्कर और सहायक उपस्कर (जिसके अंतर्गत जांच और क्वालिटीनियंत्रण के लिए जो अपेक्षित है) और संघटक के लिए सभी मदों पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, जो 6 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क की छूट देती है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, अर्थात् :-

(1) कारखाने से मदों की निकासी के लिए, विनिर्माता यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त को नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में भारत सरकार के उप सचिव की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी से इस छूट की मंजूरी की सिफारिश करने वाला प्रमाण-पत्र पेश करता है और उक्त अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि मद,-

(क) विद्युत के उत्पादन या प्रदर्शन के प्रयोजनों के लिए ईंधन सेल आधारित प्रणाली के आरंभिक गठन; या

(ख) बायोगैस या बायोमीथेन पर या उपोत्पाद हाइड्रोजन द्वारा प्रचालित प्रणालियों के संतुलन, के लिए अपेक्षित हैं;

(2) निर्माता, इस आशय की अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त को यह वचन-बंध देता है कि उक्त मदों का उपयोग उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाएगा और यदि विनिर्माता इस शर्त को पूरा करने में असफल रहता है

तो वह इस छूट के स्थान पर उतना शुल्क अदा करेगा जो मदों की निकासी के समय उद्ग्रहणीय होता ।

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात उक्त मदों को 30 जून, 2017 के पश्चात् लागू नहीं होगी ।

[फा.सं. 334/7/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार